अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.....

T.S 68/2021 - कालीदेवी v/s जीवनराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज RCMS- 2021/80	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	26/4/2022 - वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली अवलोकन पर ली गई प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है इसलिए प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवाद खारिज करने का करावें। प्रार्थना पत्र शामिल स्वीकार होने के स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर R.T Act 1955 अधीन विवाद खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार चेयर नजर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	